

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की  
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना विवरण :-

- 1 क) आरक्षित वन भूमि के लिये प्रस्ताव / परियोजना / स्कीम का संक्षिप्त विवरण। थराली-घाट मोटर मार्ग के किमी 0 3.00 में ढलान स्थिरीकरण का निर्माण।  
ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की रीमाओं को दर्शाने वाला मैप संलग्न है।  
ग) परियोजना की लागत। ₹0 लाख  
घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य सुदूर एवं पिछड़े क्षेत्र के लिये यातायात की सुविधा हेतु मार्ग का निर्माण किया जाना आवश्यक है।  
ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये) संलग्न है।  
च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है :- कृषि, दुग्ध एवं बागवानी के उत्पादन में वृद्धि होगी तथा रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे।
- 2 कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण :- 0.262 हे0 आरक्षित, कुल 0.262 हे0 वन भूमि
- 3 परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है :-  
क) परिवारों की संख्या :- शून्य  
ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या शून्य  
ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिये) शून्य
- 4 क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है ? (हाँ/नहीं) सेतु निर्माण किया जाना है, आवश्यक हुआ तो पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। संलग्न है।
- 5 प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचन बद्धता (वचन बद्धता संलग्न की जाये) संलग्न है।
- 6 निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा। अनुसूची संलग्न है।

तिथि .....

स्थान - थराली

खण्डिय जीमान

Aryman  
JEWB  
कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0  
थराली (चमोली)

(इं0 विजय कुमार)  
अधिशाली अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0  
थराली, (चमोली)